रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052023-246007
CG-DL-E-23052023-246007

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2151] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2023/जयेष्ठ 2, 1945
No. 2151] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2023/JYAISHTHA 2, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2023

का.आ. 2245(अ).— सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार का प्रयोग सरकार परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकताएं समाप्त करता है।

और, भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) "प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना" (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) संचालित कर रहा है जो अठारह से चालीस वर्ष की प्रवेश आयु वर्ग के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है और यह योजना दो हेक्टेयर तक की खेती-योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान परिवारों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को साठ वर्ष की आयु का होने पर तीन हजार रुपये (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) की मासिक पेंशन प्रदान करती है।

और, पूर्वोक्त स्कीम राज्य सरकार के माध्यम से, और मंत्रालय द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेन्सी कहा गया है) कार्यान्वित की जाती है;

और, भारतीय जीवन बीमा निगम पेंशन निधि प्रबंधक है और पेंशन भुगतान के लिए उत्तरदायी है;

और, इस स्कीम में भारत की संचित निधि से किया गया आवर्ती व्यय शामिल है;

अतः अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

1. (1) इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी पात्र लाभार्थी को आधार संख्या होने अथवा आधार प्रमाणीकरण करवाने का सबूत प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(2) इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा, जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची] पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं होने की स्थिति में विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) अथवा स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) रजिस्ट्रार बनकर मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।

परंतु जब तक किसी व्यक्ति को आधार नहीं सौंप दिया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों को इस स्कीम के अंतर्गत लाभ निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के अध्यधीन दिया जाएगा, अर्थात्: -

(क) यदि उसने नामांकन कराया है, तो उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेज में से कोई एक, अर्थात्

(i) फोटो लगी बैंक पासबुक या डाक घर पासबुक;

(ii) मतदाता पहचान पत्र;

(iii) स्थायी खाता संख्या कार्ड;

(iv) पासपोर्ट;

(v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस;

(vi) राशन कार्ड;

(vii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) जॉब कार्ड;

(viii) किसान फोटो पासबुक;

(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र;

(x) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु और यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच मंत्रालय द्वारा उस उद्देश्य के लिए नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से लाभ प्रदान करने के लिए, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थियों को स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता से

अवगत कराने हेतु मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा।

3. ऐसे सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित अपवाद हैंडलिग तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्: -

(क) फिंगरप्रिंट की खराब गुणवत्ता के मामले में, आइरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा को प्रमाणीकरण के लिए अपनाया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा मंत्रालय लाभ की निर्बाध प्रदायगी के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के साथ आइरिस स्कैनर या फेस ऑथेंटिकेशन के लिए प्रावधान करेगा;

(ख) फिंगरप्रिंट या आइरिस या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के सफल न होने की स्थिति में, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, सीमित समय की वैधता वाले, यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या टाइम-बेस्ड वन-टाइम पासवर्ड (टीओटीपी) द्वारा प्रमाणीकरण करवाया जाएगा;

अन्य ऐसे सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक अथवा आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या टाइम-बेस वन टाइम पासवर्ड (टीओटीपी) प्रमाणीकरण संभव नहीं है, भौतिक आधार पत्र के आधार पर लाभ प्रदान किया जाए जिसकी प्रामाणिकता को आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पोंस कोड के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। क्विक रिस्पोंस कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा मंत्रालय द्वारा सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी;

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी अपने देय लाभों से वंचित नहीं हो, विभाग प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. डी-26011/04/2017-डीबीटी, तारीख 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/पर उपलब्ध) में यथा-विनिर्दिष्ट, अपवाद हैंडलिंग तंत्र का अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.1-5/2019-किसान कल्याण अनुभाग]

प्रमोद कुमार मेहरदा, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2023

S.O. 2245(E).— Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one’s identity;

And whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering “Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana” (hereinafter referred to as the Scheme) which is a voluntary and contributory pension scheme for the entry age group of eighteen to forty years. And whereas the Scheme provides a monthly pension of three thousand rupees (hereinafter referred to as the benefits) to small and marginal landholder farmer families, having cultivable landholding up to two hectares, on attaining the age of sixty years (hereinafter referred to as the beneficiaries)as per the extant Scheme guidelines.

And whereas, the aforesaid Scheme is implemented through the State Government and by the Ministry (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, the Life Insurance Corporation of India is the Pension Fund Manager and responsible for Pension pay out;

And whereas, the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: -

1. (1) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) any individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per the regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming Unique Identification Authority of India (UIDAI) Registrars themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely: –

(a) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely: -

(i) Bank Passbook or Post Office Passbook with photo;

(ii) Voter Identification Card;

(iii) Permanent Account Number Card;

(iv) Passport;

(v) Driving licence issued by Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(vi) Ration Card;

(vii) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme(MGNREGS) Job Card;

(viii) Kisan Photo Passbook;

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head;

(x) Any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry through its implementing Agencies shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely: -

(a) in case of poor fingerprint quality iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the State Government or the Union territory Administration or the Ministry shall make provisions for iris scanners or Face Authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One-Time Password (TOTP) with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One Time Password (TOTP) authentication is not possible, benefit under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the State Government or the Union territory Administration or the Ministry;

4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F.No.1-5/2019-Farmer Welfare Section]

PRAMOD KUMAR MEHERDA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.05.23 22:45:02 +05'30'